

भारत सरकार 3 फीट एक्स सड़क परविहन राजमार्ग मंत्रालय 1fCFI1 wf 110001

ट्रांसपोर्ट भवन 1 पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दल्ली 110001



सं. RWNH2901312016PM RSCEpt दनिांक 13022017

कार्यालय ज्ञापन

सड़क सुरक्षा इंजीनयिरगि की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए उप दिशानिर्देश केंद्रीय सड़क निध (सीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सड़कों पर कार्य प्रस्ताव

विभिन्न श्रेणियों की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। आर्थिक नुकसान और बहुमूल्य जीवन की हानि के मद्देनजर यह एक गंभीर चिता का विषय बन गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में राष्ट्र के लिए चिन्हित स्थानों पर दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम करने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया राज्य की सड़कों के सुधार के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक कदम उठाया है। राज्य की सड़कों, एसएच, एमडीआर, ओडीआर पर सड़क सुरक्षा कार्यों को मंजूरी देने का निर्णय सीआरएफ दिशानिट्देशों के तहत राज्य सड़कों के लिए आवंटित धनराशि का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है सड़क सुरक्षा कार्यों की पहचान, प्रस्तावों की तैयारी, उनकी स्वीकृति और कार्यान्वयन निम्नानुसार हैं

सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क निधि के आवंटन से धन की आवश्यकता पूरी की जाएगी।
ग्रामीण सड़कों के अलावा सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए आवंटित धनराशि अनुमेय नहीं होगी।
विकास और रखरखाव के लिए केंद्रीय सड़क निधि के आवंटन के भीतर
ईआई आईएससी के लिए निर्धारित सड़कों के अलावा अन्य सड़कों के लिए निधि का 10 प्रतिशत
01042016 तक यदि कोई पिछला अव्ययित शेष हो तो उसे प्रत्येक के लिए चिन्हित किया जाएगा।
राज्य सड़कों अर्थात राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा इंजीनियरिग कार्यों के लिए वर्ष
जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें सीआरएफ राज्य सड़क नियम 2014 लागू कर दिए गए हैं
तदनुसार सीआरएफ राज्य सड़क संशोधन नियम 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया है जिसे दिनांक 01.04.2016 के तहत अधिसूचित किया गय
जीएसआर 619ई दिनांक 23062016 राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार निधियों की उपलब्धता होगी
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः सूचित किया गया

3 सड़क सुरक्षा कार्यों की पहचान

31 चिन्हित सड़क के सुधार के लिए सड़क सुरक्षा कार्य प्रस्तावित किए जा सकते हैं सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की परिभाषा के अनुसार राज्य की सड़कों पर दुर्घटना ब्लैक स्पॉट मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विग द्वारा उनके पत्र संख्या एमआर द्वारा प्रसारित 1701812015TRWpt दिनांक 30122015तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न सड़क सुरक्षा संबंधी चिताओं के सुधार के लिए सुरक्षा कार्यों की भी पहचान की जा सकती है। चयनित खंडों पर किए गए सड़क सुरक्षा ऑडिट की सिफारिशें की सिफारिशों के आधार पर सड़क सुरक्षा कार्य भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष निकाय या विशेषज्ञ समितियां उद्देश्य

32 ये कार्य राज्य की वभिनि्न सड़कों की श्रेणियों के अनुसार प्रस्तावित किए जाने चाहिए। उपरयुक्त सीआरएफ संशोधन नियमों में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार

33 कार्यों का प्रस्ताव करते समय सुधार के लिए भूमि की उपलब्धता और मौजूदा मार्गाधिकार पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने की व्यवहार्यता का विधिवित परीक्षण किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो उन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिन्हें उपलब्ध भूमि पर क्रियान्वित किया जा सके। हालांकि ऐसे मामलों में जहां भूमि का अधिग्रहण अपरिहार्य हो, भूमि का स्थानांतरण प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

